

23/12/15

BY SPEED POST

**F.No. A-12018/11/2012-Ad.IIB
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise & Customs

New Delhi, the 15th December, 2015

To

The Director General (HRD)
C-4, West Wing, Ground Floor
IRCON Building, District Centre Saket
New Delhi - 110017

Subject: Amendment to the Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Official Language) in attached and subordinate offices under Central Board of Excise & Customs in Department of Revenue – regarding.

Sir

I am directed to refer to your letter F.No. 8/B/98/HRD(HRM)RRCCELL/2012/2234 dated 03.10.2012 forwarding therewith draft Recruitment Rules of Deputy Director (Official Language) and to say that the Recruitment Rules, 2015 for the post of Deputy Director (Official Language) in attached and subordinate offices under Central Board of Excise & Customs in Department of Revenue have been notified in the Gazette of India vide GSR No. 102 dated 23.04.2015.

2. A copy of the said Recruitment Rules, 2015 is enclosed herewith for information and further circulation of the same to all concerned.

Encl. – as above.

Yours faithfully,

(B. K. Manthan)

Under Secretary to the Govt. of India

Tel. No. 23095584

Copy to: Directorate General of Systems & Data Management, 4th & 5th Floor, Samrat Hotel, Chanakyapuri, New Delhi – 110021 along with a copy of notified RRs of Deputy Director (Official Language) with a request to upload the same in the official website of CBEC.

(B. K. Manthan)

Under Secretary to the Govt. of India

J.D.
Website

2648

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 760—768

Dated : 6-6-2015

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 102.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियमावली, 2000 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तित होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-बैंड और ग्रेड-पे अथवा वेतनमान.—पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे-बैंड और ग्रेड-पे या इससे संबद्ध वेतनमान वही होंगे, जो इस नियमावली में संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले, जो कि उक्त पद से संबंधित होंगे, वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए होंगे।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

(2)

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | पे-बैंड और ग्रेड-पे या वेतनमान | चयन या गैर चयन पद | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा |
|------------------------|--|---|---|-------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सहायक निदेशक (राजभाषा) | 11* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय। | सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय | पे-बैंड-3, 15,600-39,100 रु. ग्रेड-पे-6600 रु. | चयन | लागू नहीं |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए विनिर्दिष्ट आयु एवं अन्य शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नति के उम्मीदवारों के मामले में भी लागू होंगी | परिवीक्षा, अवधि को यदि कोई हो |
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| | |
|--|--|
| भर्ती की पद्धति : जैसे कि सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा की जाने वाली भर्ती के मामले में वह ग्रेड जहां से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जा सकता है |
| (10) | (11) |

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

सहायक निदेशक (राजभाषा) जो पे-बैंड-3, 15,600-39,100 रु. के ग्रेड में ग्रेड-पे 5400 रु. में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

नोट 1 : जहां प्रोन्नति के लिए किसी ऐसे कनिष्ठ पर विचार किया जा रहा हो, जिसने कि अपनी योग्यता या अर्हता सेवा पूरी कर ली है, वहां उससे वरिष्ठ पर भी विचार किया जाएगा; बशर्ते कि उसकी भी पात्रता/अर्हता सेवा, ऐसी अपेक्षित पात्रता/अर्हता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उसने अपने ऐसे कनिष्ठों के साथ-साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो जिन्होंने ऐसी पात्रता/अर्हता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

नोट 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए 1.1.2006, अर्थात् वह तारीख, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार संशोधित वेतनमान लागू किया गया है, से पहले उक्त अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा के आधार पर यह माना

जाएगा कि ऐसी सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू समवर्ती वेतन या वेतनमान में की गई है।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे अधिकारी :-

(क) (i) वर्तमान संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) मूल वर्तमान संवर्ग/विभाग में मूल पे-बैंड-3, 15600-39100 रु. ग्रेड-पे 5400 रु. अथवा समतुल्य ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी माध्यम में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में लिया हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नात्कोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और दूसरा अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में हो ;

(ii) केन्द्र या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या विश्व विद्यालय या मान्यता प्राप्त

अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में, हिन्दी में शब्दावली के प्रयोग या लागू करने (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी में या विलोमतः अनुवाद कार्य में, विशेषकर तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में 5 वर्ष का अनुभव

या

केन्द्र या राज्य सरकार या स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या विश्व विद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान में 5 वर्ष का अनुभव

वांछनीय :

संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर तक अध्ययन किया हो।

नोट 1 : फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय कर्मचारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी प्रोन्नति के द्वारा किए जाने वाली नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस प्रतिनियुक्ति के तत्काल पूर्व केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि समेत, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (आईएसटीसी) के लिए अधिकतम आयु-सीमा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

नोट 2 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति के उद्देश्य के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 अर्थात् वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू किया गया था, के पूर्व की गई नियमित सेवा के बारे में यह माना जाएगा कि यह सेवा समनुरूपी ग्रेड के लिए या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए गए वेतनमान में की गई है, उस स्थिति को छोड़कर जिसमें कि पूर्व संशोधित वेतनमान के एक से अधिक वेतनमानों को समान ग्रेड-पे या वेतनमान को एक संवर्ग में आमेलित कर दिया गया है और जहां कि यह लाभ केवल उन पदों के लिए दिया गया है, जहां कि ग्रेड-पे या वेतनमान को बिना किसी उन्नयन के प्रतिस्थापन कर दिया गया है।

नोट 3 : अभ्यर्थी के अन्यथा बेहतर योग्य होने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग, कारण को लिखित में दर्ज करते हुए इन अर्हताओं में अपने विवेकाधिकार से छूट दे सकता है।

नोट 4 : अभ्यर्थी के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग, यदि चयन के किसी स्तर पर उसकी यह राय बनती है कि इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी, इस समुदाय के, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो, ऐसे कारण को लिखित रूप में दर्ज करते हुए अपने विवेक से अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट दे सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, यदि हां, तो इसकी संरचना क्या है

परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

(12)

(13)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
—अध्यक्ष
2. सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित)
—सदस्य
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
—सदस्य

[फा. सं. ए-12018/11/2012-एडी II बी]

बी. के. मंधन, अवर सचिव

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2015

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Official Language) in Attached and Subordinate Offices under the Central Board of Excise and Customs in the Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short Title and Commencement. — (i) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2015.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale. — The number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

1134 Fin/15-2

3. Method of Recruitment, Age-limit and other Qualifications etc.— The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxations of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of posts | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|--|---|---|---|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Deputy Director (Official Language) | 11* (2015) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group "A", Gazetted, Non-Ministerial. | Pay Band-3, Rs. 15,600–39,100 with grade pay of Rs. 6600 | Selection | Not applicable |
| Educational and other qualifications required for direct recruits | | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | | Period of probation, if any | |
| (7) | | (8) | | (9) | |
| Not applicable | | Not applicable | | Not applicable | |
| Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods | | | In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made | | |
| (10) | | | (11) | | |
| By promotion failing which by deputation | | | Promotion: Assistant Director (Official Language) in PB-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 with five years regular service in the grade. | | |

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation: Officers under the Central Government -
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience.

Essential:

(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

OR

Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with English Medium and

Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level.

OR

Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as the medium of examination and other as a compulsory or elective subject at the degree level.

(ii) Five years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa preferably of Technical or Scientific Literature under Central or State Government or Autonomous Bodies or Statutory organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institutions.

OR

Five years' experience of Teaching in Hindi and English or Research in Hindi or English under Central or State Government or Autonomous Bodies or Statutory organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institutions.

Desirable:

Studied one of the Languages other than Hindi included in the Eight Schedule of the Constitution at Tenth level from a Recognised Board.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation / absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-

revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any up gradation.

Note 3: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reason to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 4: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :—

Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

1. Chairman, Central Board of Excise and Customs ---Chairman
2. Member, Central Board of Excise and Customs (nominated by the Chairman, Central Board of Excise and Customs) ---Member
3. Joint Secretary (Admn.), Central Board of Excise and Customs ---Member

[F. No. A-12018/11/2012-Ad. II B]

B. K. MANTHAN, Under Secy.